छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | चतुर्थ सत्र | अंक-11

रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2015

(फाल्गुन 27, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 04 से 14, 16 एवं 17 (कुल 15) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 03 एवं 15 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: श्री मनोज सिंह मंडावी एवं श्री भैयाराम सिन्हा अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 40 तारांकित एवं 43 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का 50 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (दिनांक 1 जुलाई, 2013 से 30 जून, 2014),

(2) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 9-2/2015/जन.नि./42, दिनांक 16 फरवरी 2015, द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल के विकास का अधिकार (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) नियम, 2015, तथा

(3) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने कंपनी अधिनियम 1956, (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014 **पटल पर रखे।**

3. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने किसानों और मजदूरों पर लाठी चार्ज किये जाने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि शासन चर्चा के लिए तैयार है।

4. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा किसानों एवं मजदूरों के साथ लाठी चार्ज किए जाने संबंधी 32 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन सूचनाओं को संशोधित रूप में सभा में उठाने की अनुमति प्रदान करते हुए, पढ़ी गई।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. स्थगन प्रस्ताव की ग्राहता पर चर्चा

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राहता पर चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, अमरजीत भगत, राजेन्द्र कुमार राय, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्री कवासी लखमा, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों के विचार तथा शासन का उत्तर सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

6. बहिर्गमन

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांगेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य ने बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम घोटिया से सिरपुर पहुंच मार्ग पर स्थित नहर के पुल की हालत जर्जर होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री संतराम नेताम, राजेन्द्र कुमार राय, अमित अजित जोगी, सदस्य ने प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र बनाने में हो रही कठिनाई की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अमरजीत भगत
(2) श्री नवीन मारकण्डेय
(3) श्री लखन देवांगन
(4) श्री मोहन मरकाम
(5) श्री मोतीलाल देवांगन

9. वर्ष 2015-2016 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय से संबधित मांग संख्या 26, पर्यटन से संबंधित मांग संख्या 37, राज्य विधान मंडल से संबंधित मांग संख्या 28, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 30 एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 80 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-26 पर श्री सत्यनारायण शर्मा मांग संख्या-37 पर श्री टी.एस.सिंहदेव, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री कवासी लखमा, गिरवर जंघेल मांग संख्या-30 पर श्री

टी.एस.सिंहदेव, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री कवासी लखमा, बघेल लखेश्वर, मोहन मरकाम, जनकराम वर्मा मांग संख्या-80 पर श्री टी.एस.सिंहदेव, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री कवासी लखमा, बघेल लखेश्वर, मोहन मरकाम, सत्यनारायण शर्मा एवं राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।
श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री अवधेश सिंह चंदेल,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री उमेश पटेल, श्रवण मरकाम, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, अरूण वोरा,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री रोहित कुमार साय, केशव चंद्रा, दीपक बैज, संतोष बाफना, मोतीलाल देवांगन, श्रीमती चंपा देवी पावले, श्री दलेश्वर साहू,

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

श्री दलेश्वर साहू, सदस्य चर्चा के दौरान उनके क्षेत्र की सड़कों का बजट में उल्लेख नहीं होने के कारण गर्भगृह में बैठ गए।
श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के आग्रह पर वे अपने आसन पर गये।

10. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन श्री दलेश्वर साहू, सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं।
माननीय सभापति ने माननीय सदस्य से आग्रह किया कि वे कृपया सभा से बाहर जायें।

श्री दलेश्वर साहू, सदस्य सभा से बाहर गए।

11. वर्ष 2015-2016 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री रामलाल चौहान,

12. निलंबन समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि - नियमों की जानकारी होते हुए भी गर्भगृह में धरना देना असंसदीय कार्य है। चूंकि माननीय सदस्य नए विधायक हैं अत: मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वे नियमों के पालन के प्रति गंभीर रहेंगे।

13. वर्ष 2015-2016 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री कवासी लखमा, श्रीमती सरोजनी बंजारे, सर्वश्री गुरूमुख सिंह होरा, नवीन मारकण्डेय, डॉ. विमल चोपड़ा, डॉ. सनम जांगड़े, श्री भूपेश बघेल,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी भाई पटेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 4 (2) की मांगे प्रस्तुत किये जाने व चर्चा प्रारंभ होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने पुलिस से संबंधित मांग संख्या 3, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 4, जेल से संबंधित मांग संख्या 5 एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित मांग संख्या 20 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-3 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा मांग संख्या-4 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल, बघेल लखेश्वर, मांग संख्या-20 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, मोतीलाल देवांगन, बघेल लखेश्वर, श्यामलाल कंवर, दलेश्वर साहू, (डा.) प्रीतमराम एवं केशव चंद्रा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।
श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की। (जारी)

रात्रि 8.11 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 19 मार्च, 2015 (फाल्गुन-28, शक संवत् 1936) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा